ADITYA BIRLA
HINDALCO

26	उक्त 13.00 हे0 अवनत वनभूमि का चयन होने के उपरांत क्षतिपूरक वनीकरण की योजना/व्यय अनुमान पत्र 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्रभाग से प्राप्त करते हुये संलग्न किया जाय।	चयनित क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण की योजना/व्यय अनुमान पत्र 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है ।
27	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी से प्राप्त करते हुये संलग्न किया जाय ।	क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है ।
28	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र से संबंधित जी0ओ0 रेफरेन्स मानचित्र की प्रति शीर्षक एवं लीजेन्ड सहित संलग्न की जाय ।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र से संबंधित जी0ओ0 रेफरेन्स मानचित्र संलग्न है ।
29	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों से संबंधित सर्वे ऑफ इण्डिया की पूरी टोपोशीट शीर्षक एवं लीजेन्ड सहित संलग्न की जाय ।	चयनित क्षेत्र से संबंधित टोपोशीट संलग्न है ।
30	प्रस्तावित वनभूमि से संबंधित के0एम0एल0 फाईल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों से संबंधित के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 ।	चूँकि नवीनीकरण प्रस्ताव के हार्डकापी के समस्त अभिलेखों को पेनड्राइव में अपलोड करके प्रस्तुत किया जा रहा है । अतः सी0डी0 संलग्न करने का कोई औचित्य नहीं है । ज्ञातव्य हो कि आई0टी0 के क्षेत्र में आउट ऑफ डेट हो चुका है ।
31	वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की हार्डकापी उपरोक्तानुसार आपत्ति निराकरण कराने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के परामर्श के उपरान्त प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अंतिम पृष्ठ तक पेज नम्बरिंग की जायेगी तदोपरांत उसकी पीडीएफ फाईल पेनड्राइव में तैयार कराते हुये प्रस्ताव प्रभाग में उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त समस्त कमियों के निराकरण के उपरान्त फार्म–बी एवं अन्य अभिलेखों की प्रति संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षरोपरांत ही प्रभाग में प्राप्त किया जायेग ।	नवीनीकरण प्रस्ताव की हार्डकापी उपरोक्तानुसार आपत्ति निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अंतिम पृष्ठ तक पेज नम्बरिंग सहित उसकी पीडीएफ फाईल पेनड्राइव में अपलोड कर दिया गया है तथा उक्त पेनड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

अतः श्रीमान्‌जी से अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

28/09/2021

(विवेक कुमार)
हेड–लीगल

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (पॉच प्रतियों में) ।

28/9/21

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट वन प्रभाग रेनुकूट सोनभद्र
फाइल सं.
पं.सं.
दि.

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District. Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 I Fax: +91 5446 252107/252427 I E: hindalco@adityabirla.com I W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
T: +91 22 6691 7000 I Fax: +91 22 6691 7001

दिनांक : 28.09.2021

सेवा में,
श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट,
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।

विषयः जनपद–सोनभद्र में रिहन्द हाईडिल पावर स्टेशन से हिण्डालको प्लांट रेणुकूट तक निर्मित 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 6.394 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का आगामी 25 वर्षो (01.04.2022 से 31.03.2046 तक) के लिये लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः आपका पत्रांक 652/रेणुकूट/15–26 दिनांक 26.08.2021 ।

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा विषयांकित नवीनीकरण प्रस्ताव के हार्डकापी में 31 कमियॉ बताई गयी है जिसका निराकरण करते हुये नवीनीकरण प्रस्ताव की हार्डकापी पॉच प्रतियों में पुनः इस पत्र के साथ संलग्न है :–

कमांक	बिन्दु विवरण	अनुपालन/ आख्या
1	फार्म–ख के भाग–I दो पन्ना में है। दूसरे पन्ने में केवल हस्ताक्षर है जिसे एक पन्ना में किया जाय या दूसरे पन्ने में भी विवरण के साथ हस्ताक्षर, तारीख एवं स्थान होना चाहिए।	फार्म–ख के भाग–1 को संशोधित करते हुये दूसरे पन्ने में भी विवरण के साथ हस्ताक्षर, तारीख एवं स्थान अंकित कर दिया गया है।
2	फार्म–ख के भाग– I के बिन्दु संख्या 3 में पूर्व एवं वर्तमान का पूर्ण विवरण भरा जाय जिसमें प्रस्तावित समस्त भूमि का विवरण अभिलेखों के आधार पर अंकित हो ।	फार्म–ख के भाग–I के बिन्दु संख्या 3 में पूर्व एवं वर्तमान का पूर्ण विवरण अंकित कर दिया गया है ।
3	फार्म–ख के भाग– II में भरा हुआ विवरण पुराना है जिसे नया प्रभाग स्तर से प्राप्त करते हुए प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।	प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नये विवरण को फार्म–ख के भाग–2 में अंकित कर दिया गया है ।
4	फार्म–ख के भाग– IV एवं V में कम संख्या गलत अंकित है जिसे सही कराते हुये संलग्न किया जाय।	फार्म–ख के भाग– IV एवं V में कम संख्या को संशोधित कर दिया गया है ।
5	भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तो के अनुपालन संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र में विधिक शर्तो का उल्लेख करते हुये वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो स्वीकार नहीं है । संलग्न प्रमाण पत्र में वर्ष 1972 में लीज स्वीकृति का उल्लेख है किन्तु उसका आदेश का विवरण अंकित नहीं किया गया है जिसे अंकित किया जाय। उक्त दोनों कमियों का निराकरण कराते हुये दूसरी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।	भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तो के अनुपालन संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र में विधिक शब्द को हटाते हुये वर्ष 1972 में स्वीकृत लीज के आदेश का विवरण अंकित कर दिया गया है ।

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District. Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 I Fax: +91 5446 252107/252427 I E: hindalco@adityabirla.com I W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
T: +91 22 6691 7000 I Fax: +91 22 6691 7001

ADITYA BIRLA
HINDALCO

6	प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न जितने भी वचनबद्धता प्रमाण पत्र/ प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है उसमें विधिक शब्दों को हटाते हुये 1972 के आदेशों का उल्लेख करते हुये वचनबद्धता प्रमाण–पत्र/ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय ।	भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तो के अनुपालन संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र में विधिक शब्द को हटाते हुये वर्ष 1972 में स्वीकृत लीज के आदेश का विवरण अंकित करते हुये वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है एवं तद्नुसार पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है ।
7	प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार/ उ0प्र0 सरकार द्वारा पूर्व में लगायी गयी शर्तो के अनुपालन आख्या संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो अपूर्ण है। कृपया भारत सरकार/ उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या तैयार कराते हुये प्रस्ताव में संलग्न किया जाय ।	प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार/ उ0प्र0 सरकार द्वारा पूर्व में लगायी गयी शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्ताव में संलग्न है ।
8	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं किया गया है जिसे संलग्न किया जाय।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र सैद्धांतिक स्वीकृत मिलने के बाद प्रस्तुत किया जायेगा अभी उससे संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9	प्रस्ताव में संलग्न वन स्वरूप क्षेत्र प्रभावित न होने संबंधित प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिरहित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।	प्रस्ताव में संलग्न वन स्वरूप क्षेत्र प्रभावित न होने संबंधित प्रमाण पत्र का संशोधन कर दिया गया है तथा संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।
11	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में रेंज के स्टाफ का हस्ताक्षर नहीं है ।	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में रेंज के स्टाफ का हस्ताक्षर करा दिया जायेगा ।
12	प्रस्तावित वनभूमि सेन्चुरी एरिया की परिधि से 10 कि0मी0 बाहर है इसकी पुष्टि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग का प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुये संलग्न किया जाय।	इस संबंध में संस्थान का कथन है कि इसके पहले पारेषण लाईन के किसी नवीनीकरण प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं मॉगा गया है। जैसा पूर्व के नवीनीकरण प्रस्तावों में इससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वैसा ही संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है ।
13	प्रस्ताव में लीज रेंट से संबंधित विवरण संलग्न किया गया है जिसे कम सं0–7 के अनुसार संलग्न किया जाय।	वर्ष 1997 से 2020 तक किये गये लीज रेंट के भुगतानों का विवरण संलग्न है ।
14	जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2020 से जारी भूमि का वर्तमान बाजार दर की प्रति संलग्न की गयी है। कृपया अद्यतन सूची संलग्न की जाय । यदि कोई सूची अद्यतन जारी नहीं हुयी है तो इसकी पुष्टि में सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण पत्र/ पत्र की दिनांक 01.08.2020 के पश्चात कोई सर्किल दर जारी नहीं हुआ है की प्रति संलग्न की जाय ।	श्रीमान् जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी पत्रांक 28/ मु0नि0लि0–सोनभद्र/ 2021 दिनांक 16.08.2021 की प्रति संलग्न है।
15 व 16	परियोजना में लाभान्वित होने वाले ग्रामों/ परिवारों का विवरण संलग्न किया गया है जिसमें ग्राम पिपरी का उल्लेख किया गया है जबकि प्रश्नगत परियोजना में ग्राम–पिपरी का कोई भूमि वन विभाग द्वारा लीज पर हस्तांतरित नहीं की गयी है । कृपया त्रुटिरहित विवरण संलग्न किया जाय।	परियोजना में लाभान्वित होने वाले ग्रामों/ परिवारों का विवरण संशोधित कर दिया गया है ।

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District. Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 I Fax: +91 5446 252107/252427 I E: hindalco@adityabirla.com I W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
T: +91 22 6691 7000 I Fax: +91 22 6691 7001

ADITYA BIRLA
HINDALCO

17	प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त समस्त अभिलेख सही होने तथा कोई तथ्य छिपाये नहीं गये है के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न प्रमाण पत्र में प्रतिहस्ताक्षरित मुख्य वन संरक्षक का नाम हटाते हुये संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय ।	संलग्न प्रमाण पत्र में प्रतिहस्ताक्षरित मुख्य वन संरक्षक का नाम हटाते हुये संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
18	प्रस्ताव में संलग्न जी0ओ0 रेफरेन्स मानचित्र में अंकित लीजेन्ड में हिण्डालको लैण्ड, रिहन्द रिजर्वायर लैण्ड का भी उल्लेख किया गया है। उक्त की पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जाय ।	ज्ञातव्य हो कि 6.394 हे0 वनभूमि हिण्डालको संस्थान को 132 के0वी0 पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 1972 में 25 वर्ष हेतु प्रदान की गयी थी जिसका पुनः 25 वर्ष का प्रथम नवीनीकरण हो चुका है । और पुनः 25 वर्ष के लिये 6.395 हे0 वनभूमि का द्वितीय नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
19	प्रस्ताव में संलग्न एस0ओ0आई0 टोपोशीट की पूरी शीट संलग्न नहीं है, जिसे संलग्न किया जाय ।	प्रस्ताव में संलग्न एस0ओ0आई0 टोपोशीट की पूरी शीट 1:50000 के स्केल पर संलग्न है ।
20	इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 आंकलन प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है । संलग्न प्रमाण पत्र में वर्ष 1972 में हस्तांतरित वनभूमि से संबंधित समस्त आदेशों को समावेश करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षरोपरांत संलग्न किया जाय ।	इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 आंकलन प्रमाण पत्र में वांछित संशोधन करते हुये प्रमाण पत्र संलग्न है ।
21	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट टंकित कराते हुये संलग्न किया गया है। संलग्न किये गये प्रमाण पत्र में वर्ष 1972 के आदेशों का भी उल्लेख करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय ।	वांछित संशोधन करते हुये प्रमाण पत्र संलग्न है ।
22	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, जिसे संलग्न किया जाय।	ज्ञातव्य हो कि 6.394 हे0 वनभूमि हिण्डालको संस्थान को 132 के0वी0 पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 1972 में 25 वर्ष हेतु प्रदान की गयी थी जिसका पुनः 25 वर्ष का प्रथम नवीनीकरण हो चुका है । और पुनः 25 वर्ष के लिये 6.395 हे0 वनभूमि का द्वितीय नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
23	परियोजना के वनक्षेत्र में स्थापित करने का औचित्य संलग्न नहीं है जिसे संलग्न किया जाय ।	ज्ञातव्य हो कि 6.394 हे0 वनभूमि हिण्डालको संस्थान को 132 के0वी0 पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 1972 में 25 वर्ष हेतु प्रदान की गयी थी जिसका पुनः 25 वर्ष का प्रथम नवीनीकरण हो चुका है । और पुनः 25 वर्ष के लिये 6.395 हे0 वनभूमि का द्वितीय नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि यह नवीनीकरण प्रस्ताव है, ऐसे किसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है ।
24	पर्यावरणीय स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं है जिसे संलग्न किया जाय ।	इस प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है ।
25	परियोजना में प्रभावित वनभूमि 6.394 हे0 के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरन हेतु चयनित दुगने अवतन वनक्षेत्र 13.00 क्षेत्रों का विवरण पिपरी रेंज से प्राप्त करते हुये संलग्न किया जाय ।	परियोजना में प्रभावित वनभूमि 6.394 हे0 के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरन हेतु चयनित दुगने अवतन वनक्षेत्र 13.00 क्षेत्रों का विवरण पिपरी रेंज से प्राप्तकर संलग्न कर दिया गया है ।